Office of Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई-मेल – cgrfalmora@gmail.com

पत्रांक – 322 / उ0शि0नि0मं0 / अल्मोड़ा। दिनांक :– 30.11.2023

श्री महेन्द्र कुमार,
वरिष्ठ विधि अधिकारी
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड
विक्टोरिया क्रास विजेता, गबर सिंह ऊर्जा भवन,
कांवली रोड, देहरादून – 248001
ई–मेल – webadmin@upcl.org एवं cgrf9ocupcl@gmail.com

विषय :– मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचो द्वारा प्रतिमाह पारित आदेशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 1438MK / म0प्र0(विधिक) एवं क0स0 / उपाकालि / दिनांक 05.10.2023 के अनुपालन में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच अल्मोड़ा में निम्नलिखित लम्बित प्रकरणों में पारित अन्तिम आदेशों की PDF फाइल आपके द्वारा पत्र में उल्लिखित ई–मेल webadmin@upcl.org एवं cgrf9ocupcl@gmail.com पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

कृपया उपरोक्त का संज्ञान लें।

संलग्न :– निम्न वादों में पारित अन्तिम आदेशों की प्रतिलिपि।
वाद संख्या – CG92/2023, CG98/2023, CG110/2023, CG116/2023, CG119/2023, CG124/2023, CG125/2023, CG127/2023,

कुल – 08

(चामू सिंह गस्याल)
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति 1– भानू सिंह नस्याल, सदस्य–न्यायिक
2– ओपी दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 92/2023

श्री महेंद्र सिंह पंवार
लक्ष्मेश्वर, अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका विद्युत संयोजन एआर6–6116/406694 पहले दुगोलखोला में था। जिसको रसीद संख्या 3694984 दिनांक 19.08.2017 के द्वारा लक्ष्मेश्वर में स्थानांतरित कराया गया था। उन्होंने बताया कि निजी कारणों से नए स्थान पर इस संयोजन से किसी प्रकार का विद्युत उपभोग नहीं किया गया। उन्होंने उपरोक्त संयोजन का पुराने स्थान पर रीडिंग के आधार पर सही करने के लिये निवेदन किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 249 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 03.11.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित सहायक अभियंता राजस्व श्री तुषार चौहान ने बताया कि यह संयोजन रसीद संख्या 3694984 दिनांक 19.08.2017 के द्वारा दुगालखोला से लक्ष्मेश्वर में स्थानांतरित किया गया था। तत्पश्चात उपरोक्त परिवर्तित परिसर पर संयोजन विच्छेदन के लिये कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथा विभाग के रिकॉर्ड में संयोजन विच्छेदित नहीं है। मंच के समक्ष मीटर संख्या 484731 की रीडिंग की जांच श्री कैलाश बिष्ट सहायक अभियंता–मीटर्स के समक्ष की गई। जिसमें अंतिम रीडिंग 16 यूनिट पाई गई। मीटर से संबंधित सीटी पीटी बॉक्स को भी चैक किया गया। जिसमें कोई सीटी आदि नहीं पाई गई। वादी ने पुराने मीटर के आधार पर दिनांक 19.08.2017 तक ही बिल संशोधित करने के लिये अनुरोध किया है।

आदेश

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा विभाग को संयोजन विच्छेदन की सही तिथि के लिये, वादी द्वारा दिए गये आवेदन पत्र की तिथि से जो विभाग द्वारा प्राप्त किया गया हो, या प्रार्थी द्वारा विभाग को दिये गए पत्र के सबूत के तौर पर पेश किया गया हो अथवा प्रार्थी द्वारा

दायर वाद दिनांक 17.03.2023 जो भी पहले हो, को मानते हुए प्रार्थी का रिकॉर्ड से स्थायी विद्युत संयोजन विच्छेदित कर संशोधित बिल 15 दिन के अंदर प्रार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 03.11.2023

पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता	ओपी दीक्षित सदस्य–तकनीकी	दामू सिंह [illegible] सदस्य–न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

अल्मोड़ा

उपस्थिति
1– भानु सिंह नगन्याल, सदस्य–न्यायिक
2– जोपी दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 94 / 2023

श्रीमती भगवती देवी
पत्नी श्री माधु सिंह रावत
ग्राम कुरुवाड़ी, पो.ल्योली
अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बिल संशोधन एवं विद्युत मीटर की जांच के लिये अनुरोध किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 250 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2. मंच की सुनवाई तिथि 10.04.2023 तथा 2.05.2023 पर वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी श्री संतोष अग्रवाल ने बताया कि यह प्रकरण डम्प रीडिंग एवं खराब मीटर से संबंधित है।

3. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 13.09.2023 तथा 11.10.2023 पर वादी की तरफ से कु. गीता रावत तथा विभाग की तरफ से एई–आर श्री तुषार चौहान उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मीटर की एमआरआई कराने की कोशिश की गई जो कि नहीं हो पाई। जिससे प्रतीत होता है कि मीटर खराब है। तथा यह प्रकरण डम्प रीडिंग का ना होकर खराब मीटर से संबंधित है। खराब मीटर को 13.09.2023 को बदल दिया गया है तथा नए मीटर के आधार पर खराब मीटर अवधि का आकलन किया जाएगा।

आदेश

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नए मीटर की 4 बिलिंग साइकिल के विद्युत उपभोग के आधार पर ऐवरेज लेते हुए विगत मीटर खराब होने की अवधि का बिल संशोधित किया जाए। यह बिल संशोधन मीटर बदलने से 4 माह व्यतीत होने के बाद 15 दिन के अंदर कर वादी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी को निर्देशित किया जाता है कि अनुमानित 1500 रूपए प्रोविजनली एक सप्ताह के अंदर विभाग को भुगतान करें, जिस पर वादी ने सहमति दे दी है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज यह निर्णय खुले फोरम मे दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 11.10.2023

पुष्कर सिंह रावत,	ओपी दीक्षित 11/10/2023	चामू सिंह गस्याल
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–तकनीकी	सदस्य–न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

अल्मोड़ा

उपस्थिति 1– भानू सिंह गस्याल, सदस्य–न्यायिक
2– ओपी दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 110/2023

श्रीमती कमला रावत
पत्नी स्व.श्री एमपीएस रावत
रावतपुर लक्ष्मेश्वर, मेन रोड
अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके घर के सामने मेन रोड पर एक पोल के सहारे दूसरा स्टील पोल खड़ा है जो खतरनाक स्थिति में है। उन्होंने इस पोल को बदलने के लिये निवेदन किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 311 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2. मंच की सुनवाई की अंतिम तिथि दिनांक 03.11.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात संज्ञान में आया है कि पोल के पास चौड़ा कलमठ है जिसमें रानीधारा क्षेत्र का पानी आता है तथा कलमठ के बगल से दो मकानों के रास्ते हैं तथा पोल पर दो ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ रही है। जिसमें एक में खराबी आने पर दूसरे से जोड़ने का विकल्प है। ऐसी स्थिति में पोल को हटा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पोल/ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग के लिये एक पॉलिसी निर्धारित है। जिसके अंतर्गत प्रार्थी को शिफ्टिंग के लिये उचित आरओडब्लू तथा शिफ्टिंग में आने वाले व्यय को वहन करना होता है।

आदेश

उपरोक्त के दृष्टिगत वादी को कहा जाता है कि वह उपरोक्त पोल की शिफ्टिंग के लिये उचित आरओडब्लू निर्धारित कर विद्युत विभाग को आवेदन प्रस्तुत करें। ताकि विभाग शिफ्टिंग के लिये प्राक्कलन बनाकर राशि जमा करने के लिये सूचित कर सके। प्राक्कलन राशि जमा करने के पश्चात विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य वरीयता के आधार पर किया जाए।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 17.08.2023

पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य–उपभोक्ता

ओपी दीक्षित
सदस्य–तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य–न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति 1– चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2– ओपी दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 116/2023

श्री किशोर कुमार
पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
ग्राम बडगलभट, पो.दरमान
अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनको मई 2023 में 41000 रूपए का भारी भरकम बिल प्राप्त हुआ है। उनके परिसर पर चैक मीटर भी लगाया गया था। जिसमें 6 माह में सिर्फ 146 यूनिट बिजली खर्च हुई। उन्होंने बिल में सुधार के लिये निवेदन किया है।

2. उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 344 दिनांक 02.08.2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

3. मंच की सुनवाई तिथि 17.08.2023 पर वादी तथा विभाग की तरफ से श्री संतोष अग्रवाल उपखण्ड अधिकारी एवं श्री विनोद कुमार दुर्गापाल, मापक अनुभाग उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि परिसर मे चैक मीटर लगाने पर 6 माह में कुल 146 यूनिट खर्च हुई और मेन मीटर सही पाया गया। वादी ने यह भी बताया कि अगस्त 2021 में आकाशीय बिजली गिरी थी जिस वजह से कुछ समय के लिये मीटर का डिस्प्ले गायब हो गया था। विभाग ने बताया कि जब मीटर उतारा गया था। तब रीडिंग 169701 पाई गई थी। जबकि बिल में यह रीडिंग 16954 दर्शाई गई थी।

4. मंच की सुनवाई दिनांक 13.09.2023 एवं 11.01.2023 पर विभाग की तरफ से उपस्थित एई–आर श्री तुषार चौहान ने बताया कि ऐसी शिकायतें और भी प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रार्थी का मीटर 20.06.2023 को बदल दिया गया था।

आदेश

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 20.06.2023 को लगाए गए नए मीटर के आधार पर 4 बिलिंग साइकिल (4 माह) में विद्युत उपभोग के ऐवरेज के आधार पर खराब मीटर रीडिंग अवधि का बिल संशोधित किया जाए तथा चार माह व्यतीत होने के पश्चात उपभोक्ता को संशोधित बिल उपलब्ध करा दिया जाए, एवं उपभोक्ता को बिल उपलब्ध कराने के 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना बाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नही होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 11.10.2023

पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य उपभोक्ता

ओपी दीक्षित
सदस्य तकनीकी

दामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

अल्मोड़ा

उपस्थिति 1- धामू सिंह गस्याल, सदस्य-न्यायिक
2- ओपी दीक्षित, सदस्य-तकनीकी
3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य-उपभोक्ता

परिवाद संख्या- 119/2023

श्री जोगा सिंह
पुत्र श्री गोपाल सिंह
ग्राम पाकुड़ा, पो.हवालबाग
अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बिल संशोधन के लिये अनुरोध किया है। उनके परिसर पर चैक मीटर भी लगाया गया था। जिसमें 6.06.2023 से 20.06.2023 तक सिर्फ 18 यूनिट बिजली खर्च हुई। उन्होंने जप रीडिंग के बिल में सुधार के लिये निवेदन किया है।

2. उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 341 दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अधिशासी अभियता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

3. मंच की सुनवाई तिथि 18.08.2023 तथा 23.09.2023 पर वादी को तरफ से श्रीमती गीता देवी पुत्रवधु श्री जोगा सिंह तथ विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि परिसर में चैक मीटर लगाने पर मेन मीटर 6 प्रतिशत तेज पाया गया। वादी ने बताया कि उनका बिल दो महीने के आधार पर 200-300 रूपए आता था, तथा एकदम से लाखों का बिल आ गया। जो कि एक किलोवाट लोड के लिये असंभव है। विभाग ने बताया कि मीटर को 20.06.2023 को बदल दिया गया है। विभाग को निर्देशित किया गया कि नए मीटर के विद्युत उपभोग के आधार पर सीजनल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कम से कम चार महीने की रीडिंग के औसत पर डिफेक्टिव अवधि का बिल संशोधित किया जाए तथा बिल संशोधन होने तक उपभोक्ताकी बिजली ना काटी जाए।

4. मंच की सुनवाई दिनांक 11.10.2023 पर उपस्थित उपखण्ड अधिकारी श्री तुषार चौहान ने बताया कि वादी का बिल संशोधित कर दिया गया है। जो कि रूपए 1133005 से रूपए 4290 संशोधित हुआ है, जिसको उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया है।

आदेश

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित बिल रूपए 4290 को अगर उपभोक्ता एकमुश्त जमा करने में असमर्थ है तो उसकी प्रतिमाह 3 समान किश्तों में करंट बिल के साथ लेने की सुविधा प्रदान की जाए।

11/10/2023

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 11.10.2023

पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य–उपभोक्ता

ओपी दीक्षित 11/10/2023
सदस्य–तकनीकी

चामू सिंह गर्ब्याल
सदस्य–न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति 1– भानु सिंह नरयाल, सदस्य–न्यायिक
2– जोशी दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 124 / 2023

श्री संतोष सिंह
पुत्र श्री सुंदर सिंह
ग्राम ज्यूला, पो०भगतोला
अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में जून 2023 अचानक भारी भरकम बिल 101770 रूपए का आने पर चैक मीटर लगाने के लिये निवेदन किया है। जिसको लगाने के बाद कोई समाधान विभाग द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने बिल के संशोधन के लिये निवेदन किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 356 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2. मंच की सुनवाई तिथि 13.09.2023 को वादी की तरफ से श्रीमती पाना देवी माता श्री संतोष सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान एई–आर उपस्थित हुए। श्री चौहान ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था, जो कि सही पाया गया। उन्होंने बताया कि आरटीसी फेल होने की वजह से मीटर की एमआरआई नहीं हो पाई। मीटर को खराब मानते 06.08.2023 को बदल दिया गया है। वादी ने बताया कि उनका बिल 60–75 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से आता था, जो कि एकदम 101770 रूपए का आया है। विभाग ने बताया कि नए मीटर की रीडिंग के आधार पर पुरानी अवधि का बिल आकलन किया जाएगा।

आदेश

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नए मीटर की 4 बिलिंग साइकिल (4 माह) के विद्युत उपभोग के आधार पर ऐवरेज लेते हुए विगत मीटर खराब होने की अवधि का बिल संशोधित किया जाए। यह बिल संशोधन मीटर बदलने से 4 माह व्यतीत होने के बाद 10 दिन के अंदर कर वादी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के बिल को संशोधित होने तक होल्ड पर रखा जाए तथा इस अवधि में वादी की बिजली ना काटी जाए। वादी एक बीपीएल उपभोक्ता है तथा वादी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए संशोधित बिल को खराब अवधि के माह के बराबर किश्तों में कर करंट बिल के साथ लेने की सुविधा प्रदान की जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

दोनो पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नही होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते है।
आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 11.10.2023

11.10.23

पुष्कर सिंह रावत,	ओपी दीक्षित	रामू सिंह गस्याल
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–तकनीकी	सदस्य–न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति
1– यामु सिंह नगन्याल, सदस्य–न्यायिक
2– ओ०पी० दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 125 / 2023

श्री नारायण सिंह
पुत्र स्व.गोविंद सिंह
ग्राम ज्ञानीखोला, गोविंदपुर
अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका बिल अधिक आ रहा है। जिसके लिये उन्होंने विभाग को चैक मीटर लगाने के लिये पत्र दिया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 367 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 03.11.2023 में वादी की तरफ से श्री नारायण सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। श्री चौहान ने बताया कि वादी के परिसर पर पर चैक मीटर लगाया गया था। जिसके आधार पर मैन मीटर 456 प्रतिशत तेज पाया गया। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के आधार पर बिल सुशोधित कर दिया गया है, तथा नेट बिल 2840.61 रुपए का बना है। जिस पर वादी ने अपनी सहमति दे दी है।

आदेश

संशोधित बिल रूपए 2840.61 पर वादी द्वारा सहमति देने के पश्चात प्रकरण निस्तारित हो जाता है। वादी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संयोजन को स्व.श्री गोविंद सिंह की मृत्यू के उपरांत वैध वारिस के नाम अविलंब करवा लिया जाए।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 03.11.2023

पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य–उपभोक्ता

ओपी दीक्षित
सदस्य–तकनीकी

यामु सिंह नगन्याल
सदस्य–न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति 1– भानु सिंह गरब्याल, सदस्य–न्यायिक
2– ओपी दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 127 / 2023

श्री विरेन्द्र सिंह कार्की
पुत्र श्री मदन सिंह कार्की
निवासी चितई–पंत
अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका वर्ष 2013 में जय गोलू रेस्टोरेंट में विद्युत संयोजन संख्या एआर 61416414898 लगा हुआ था। जिसको विभाग द्वारा 2018 में किसी की झूठी शिकायत पर काट दिया गया। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 369 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 03.11.2023 में वादी की तरफ से श्री विरेंद्र सिंह कार्की तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत किसी श्री संजय तिवारी द्वारा पूछा गया था कि वादी को किन दस्तावेजो के तहत संयोजन निर्गत किया गया था। जिस पर दस्तावेजों की जानकारी दे दी गई थी परंतु उपरोक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि संयोजन परिसर की ग्रामसभा अलग है। स्थलीय निरीक्षण के पश्चात संज्ञान में आया कि उक्त परिसर चितई–पंत में है। जबकि शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम चितई तिवारी की खतौनी लगाई गई थी। शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा स्वामित्व का प्रमाणपत्र देने हेतु पत्राचार किया गया था, जिसके प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने के कारण उक्त संयोजन काट दिया गया था। विभाग ने बताया कि वादी द्वारा मालिकाना हक के बाबत कोई दस्तावेज नहीं दिये गए है। वादी ने जिला पंचायत की रसीद, ग्राम प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सूचना के अधिकार में मांगी गई खतौनी की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है।

3. विभाग ने बताया कि अगर प्रार्थी इस आशय का आई बॉन्ड तथा शपथ पत्र देता है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो तथा किसी भी प्रकार की हानि हो तो वादी जिम्मेदार होंगे तब विभाग अपनी पॉलिसी के अनुसार दोगुना सिक्योरिटी सिस्टम के आधार पर अस्थाई संयोजन देने के लिये प्रकरण का परीक्षण कर सकते हैं।

आदेश

प्रकरण में संयोजन 2013 से 2018 तक उर्जित रहा। वादी कोई ठोस मालिकाना हक के दस्तावेज तो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है परंतु उसने जिला पंचायत की रसीद, ग्राम प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सूचना के अधिकार में मांगी गई खतौनी की प्रतिलिपी प्रस्तुत की है। प्रार्थी रेस्टोरेंट बंद होने के बाद एक बेरोजगार युवक बताया जा रहा है। वादी को कहा जाता है कि विभाग द्वारा उल्लिखित उपरोक्त आईबॉन्ड तथा शपथ पत्र के साथ अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करे। तत्पश्चात विभाग दोगुनी सिक्योरिटी के आधार पर अस्थाई संयोजन देने के लिये सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नही होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते है।

आज यह निर्णय खुले फोरन में दिनांकित, हस्ताक्षरित एव उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनाक 03.11.2023

पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता	03/11/2023 ओपी दीक्षित सदस्य–तकनीकी	दामू सिंह गस्याल सदस्य–न्यायिक